ायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 136 / 2018

उनवान

1. कैलाश पुत्र पॉचू
2. किशनलाल पुत्र पॉचू जाति रेगर निवासी रामसर

— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामदीन पुत्र सुवा जाति रेगर निवासी रामसर तहसील नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :–जरिये अधिवक्ता अभिषेक जैन

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 31.11.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम रामसर में खातेदारी भूमि खाता संख्या 25 / 69 खसरा नम्बर 5 / 9620, 19, 20 / 9714, 21 / 9713 रकबा 0.24, 1.81, 0.15, 0.18 स्थित है। वादग्रस्त आराजियात के वादीगण वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। जिस पर वादीगण कब्जा व आधिपत्य पुश्तैनी समय से चला आ रहा है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 हडपने के आशय से वादीगण को भूमि में दखल बाधा कारित करते हुए अवैध कब्जा करने के आशय से वादीगण की फसल को नष्ट करते हुए हल चला दिया। अतः वादग्रस्त पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 ने जाहिर किया की वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।
प्रकरण में वाद के समर्थन में जवाब प्रेषित नहीं होने व वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी संवत 2072–75, दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा ग्राम रामसर के खाता संख्या 25/69 खसरा नम्बर 5/9620, 19, 20/9714, 21/9713 रकबा 0.24, 1.81, 0.15, 0.18 की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी किशनलाल, कैलाश पुत्रगण सुवा कौम रेगर, सा. रामसर, की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण रेकॉर्डेड खातेदार होने से प्रकरण उनके पक्ष में सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में बिना अधिकार दखलंदाजी करते है तो वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रतिवादीगण प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा हेतु उपस्थित नहीं हुये है साथ ही राज पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नहीं किया है ऐसी स्थिति में वाद के कथनों की ताईद होती है। वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है।

अतः ग्राम रामसर के खाता संख्या 25/69 खसरा नम्बर 5/9620, 19, 20/9714, 21/9713 रकबा 0.24, 1.81, 0.15, 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.01.01 17:03:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: